

P. 225 No
10/6/1

S.N. 452

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-98/PM1/17

New Delhi, dated 10-6-2002

The General Manager (P)
All Indian Railways

ADDENDUM/CORRIGENDUM

Sub:-Guidelines for Personnel Officers and Members
of Selection Boards constituted for conducting
selections for promotion to posts classified as
'Selection'.

Reference Board's letter of even No. dated 20.10.99 forwarding
therewith guidelines for Personnel Officers and Members of Selection Boards
constituted for conducting selections for promotion to posts classified as
'Selection'.

2. For the existing para 11.4.2.3.1 substitute the following:-

"11.4.2.3.1 : Confidential Reports for the last three years are
to be considered. Marks are to be awarded depending upon
the grading. Though the Railway Board have issued no
clear mandatory orders, the following pattern for assessing
the CRs can be followed:-

Average : 2 Marks
Good : 3 Marks
Very Good : 4 Marks
Outstanding : 5 Marks

(Railway Board's letter No.E(NG)I89/PM2/6 dated 31.1.90)"

2.1 In the last sentence of sub-para (b) of para 11.5.5.1 the following may
be added:-


"by calling for viva-voce also those SC/ST employees who
have secured not less than 7 marks out of 35 in the
written test".

2.2 In the authority given in the brackets below sub-para (b) of para 11.5.5.1 as amplified above, add the following:-

"and No.83/E(SCT)/1/8/1 dated 10.9.95"

3. Please acknowledge receipt.

(This also disposes of DLW's letter No.DLW(P)/27/95/57E/Pt.
dated 21.9.2001)



(M.D.Pillai)

Joint Director Estt.(N)III
Railway Board

9/c

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) 1-98/पी एम 1/17

नई दिल्ली, दिनांक 10.6.02

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें.

अनुशेष/शुद्धिपत्र

विषय :- "सेलेक्शन" के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के लिए चयन आयोजित करने के लिए गठित चयन बोर्डों के कार्मिक अधिकारियों तथा सदस्यों के लिए मार्ग निर्देश.

बोर्ड का दिनांक 20.10.99 का समसंख्यक पत्र देखें जिसके साथ "सेलेक्शन" के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के लिए चयन आयोजित करने के लिए गठित चयन बोर्डों के कार्मिक अधिकारियों तथा सदस्यों के लिए मार्गनिर्देश भेजे गए हैं.

2. मौजूदा पैरा 11.4.2.31 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :-

"11.4.2.3.1 : पिछले तीन वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया जाता है. श्रेणी निर्धारण के आधार पर अंक दिए जाते हैं. हालाँकि रेलवे बोर्ड ने कोई स्पष्ट अनिवार्य आदेश जारी नहीं किए हैं, गोपनीय रिपोर्टों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित पैटर्न का अनुसरण किया जा सकता है :-

औसत	:	2 अंक
अच्छा	:	3 अंक
बहुत अच्छा	:	4 अंक
उत्कृष्ट	:	5 अंक

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.1.90 का पत्र सं. ई (एन जी) 1-89/पी एम 2/16)."

2.1 पैरा 11.5.5.1 के उप पैरा (ख) के अंतिम वाक्य में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :-


"अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन सभी कर्मचारियों जिन्होंने लिखित परीक्षा में 35 में से कम से कम 7 अंक प्राप्त किए हों, को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाकर"

2.2 उपर्युक्त के अनुसार बढ़ाए गए उप पैरा (ख) के अंत में कोष्ठक में निम्नलिखित को प्राधिकार के रूप में जोड़ा जाए :-

"तथा दिनांक 10.9.95 का पत्र सं. 83/ई (एस सी टी)/1/8/1."

3. कृपया पावती दें.

(इससे डी रे का के दिनांक 21.9.01 के पत्र सं. डी एल डब्ल्यू (पी)/27/95/57 ई/पार्ट का भी निपटारा हो जाता है).



(एम. डी. पिल्लै)

संयुक्त निदेशक स्था.(अराज) III

रेलवे बोर्ड.

